



Government of Haryana

Annual Administrative Report

of

Year 2017-18

Administrative Reforms Department, Haryana
Haryana Civil Secretariat, Chandigarh

INDEX

Sr. No.	Contents	Page No.
1	Introduction	I – IV
2.	Business Allocation	1 – 4
3.	Works and Objects	5 – 6
4.	Administrative Reforms Branch	6 – 7
5.	Staff Inspection Unit	7 – 8
6.	Delay Checking Unit	8
7.	RTI Cell	9
8.	Research Unit	9 – 10
9.	Administrative Structure	11 – 12
10.	Report of State Vigilance Bureau, Haryana	12
11.	State Information Commission Haryana	13 – 14
12.	Haryana Right to Service Commission	15 – 16
13.	Haryana Governance Reforms Authority	17
14	Annexure – ‘A’ Notified Services	18 – 61

Review of the Annual Administrative Report of the Administrative Reforms Department for the year 2017-18.

The Department of Administrative Reforms is the Nodal Agency of Government of Haryana for carrying out Administrative Reforms. The mission of the Department is to act as a facilitator to improve Government functioning through Systemic Changes, Organization and Methods, Eliminating Delays and Maintaining Punctuality in the offices thereby making the administration more sensitive to the aspirations and needs of the people of the State besides developing a mechanism for redressing their grievances on high priority. In addition to these reformative functions, this Department also conducts Works Studies to examine the requirement of Staff for the Government offices which demand additional posts. To promote proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration at all levels of the Government, the following multipronged strategies are adopted by the Departments:-

- i) Management Studies.
- ii) Identification of grievances prone areas and studies for quick remedial action.
- iii) Management Services.
- iv) Research on general issue of Administrative Reforms.
- v) Reduction of corruption, delay and in-differences in the state machinery.
- vi) Formulation and implementation of Citizens Charters.
- vii) Implementation of Right to Information Act, 2005.
- viii) All matters relating to the State Information Commission.
- ix) Implementation of Right to Service Act, 2014.
- x) All matters relating to the Haryana Right to Service Commission.
- xi) All matters relating to the Haryana Governance Reforms Authority
- xii) All matters relating to the setup of Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985)

2. In pursuance of this and in order to promote good governance practices in the State, the Department of Administrative Reforms offers help and advice to the various Government Departments in Management and Organization & Methods activities which include:

- i) Minimizing and reducing levels of deliberation in the disposal of office work by introducing Single File System.
- ii) Fixing accountability by conducting surprise inspections and review of previous inspections.
- iii) Reduction in Paper Work as a result of review, rationalization and simplification of office forms and procedures.
- iv) Simplification of rules and procedures so as to reduce the number of occasions and purpose for which a citizen has to visit Government Offices.

- v) Regulation of movement of files and other papers by various functionaries of the Government.
- vi) Issuance of the instructions and reiteration thereof on different aspects of employees of various Departments to redress their grievances.
- vii) Action on the requests made by individuals and employees of various Departments to redress their grievances.

3. The Administrative Reforms Department was created as a separate Department in November, 1983. However, its functions and jurisdiction were notified on March 12, 1988.

4. This Department comprises of five Branches which include:-

- i) Administrative Reforms Branch
- ii) Staff Inspection Unit
- iii) Delay Checking Unit
- iv) RTI Cell
- v) Research Unit

5. All Heads of Departments were directed to prepare Annual Action Plans for their Departments for the entire year. They were advised to fix month wise targets in the form of calendar of works and jobs of special importance. Administrative Reforms Department has also been assisting the Government Departments to formulate their Citizen Charters with regard to their activities and services so as to enable the Government machinery to deliver quality public services to the citizens in a hassle-free manner and eliminate the causes of grievance through significant standards of performance and a sound grievances redressal mechanism.

During the year 2017-18, Administrative Reforms Branch disposed off 200 complaints, 180 RTI Applications, 35 First Appeals & 15 Second Appeals and 38 Services were notified under Haryana Right to Service Act, 2014. A.R Branch also initiated action for setting up the Haryana State Administrative Tribunal under Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13 of 1985) which was approved by CMM. Inspection/work study of two Departments were made by Staff Inspection Unit. Surprise checking of New Haryana Civil Secretariat and Revenue and Disaster Management Departments made by Delay Checking Unit. In this year 1467 RTI applications under section 6(3), 75 appeals under section 19(1) and 29 second appeals were disposed of under RTI Act, 2015 by RTI Cell. Research Unit has published 10 years pending Annual Administrative Reports & one last year AAR and launched a portal “Team Haryana for Parivartan” Scheme for Perform, Reform and Transform to effectively

operationalize this initiative. Each of the 46 blocks have been assigned to Administrative Secretaries/Senior Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Service's officers in the Chintan Shivir.

6. During the Chief Ministers Conference on Effective & Responsive Government Which was held on May 24, 1997 in New Delhi, the need to enact the law on Right to Information was recognized unanimously. The Freedom of Information Act, 2002 received the assent of President of India. Thereafter, the Central Government framed the Right to Information Act, 2005. This Department also implemented the Right to Information Act, 2005 in the State and established the State information Commission, Haryana also.

During the calendar year 2017, State Information Commission, Haryana disposed off 9394 cases, imposed Rs. 51,31,249 as penalty on 330 cases under section 20(1), an amount of Rs. 5,35,500 was got, given as compensatory in 174 cases under section 19(8)(B), recommended Departmental disciplinary action in 292 cases under section 20(2) of Right to Information Act, 2005. During the year 2017-18, two State Information Commissioners were retired from Commission and a new Chief Information Commissioner & three new State Information Commissioners were appointed in this Commission. During the year, commission spent Rs. 808.24 lacs.

7. To provide for the delivery of service to eligible person within the notified time limits and for matters connected therewith and incidental thereto of all Departments/ Organizations concerned, this Department also implemented the Right to Service Act, 2014 in the State.

During the year 2017-18, 38 services were notified under Haryana Right to Service Act, 2014. Now, total number of 26 Departments/Boards/Corporations have notified 302 services. In this year commission have disposed off 44 cases out of total received 55 cases and neither penalty imposed nor any responsibility fixed on any persons by the Commission. During the year, Commission spent Rs. 275.89 lacs.

8. This Department has set up Haryana Governance Reforms Authority (HGRA) to enhance the quality and ease to access of all citizens to various development programs, services and schemes of the State Government and to make the delivery of services

harassment and corruption free in the Haryana State. As per notification no. 4/30/2017-RU dated 04.01.2017, Government has constituted an empowerment Committee for ensure speedy implementation of its recommendations and Government has also constituted 7 Task Groups, which may be setup for specific area, Sectors for assist to HGRA vide notification dated 26.06.2017.

9. There is no pending case in Administrative Reforms Department relating to vigilance enquiry.

10. Shri D. S. Dhesi, IAS, Chief Secretary to Government, Haryana and Sh. T.C.Gupta, IAS, Principal Secretary to Government, Haryana held the office in Administrative Reforms Department during the year while the office of Under Secretary was held by Shri Lilu Ram and worked by Shri Rakesh Kumar, Research Officer.

Sd/-
(D. S. Dhesi)

Chandigarh, Dated
15.09.2018

Chief Secretary to Government Haryana
Administrative Reforms Department.

प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2017–18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

हरियाणा राज्य में प्रशासकीय सुधार लाने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग, प्रशासन सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुसार प्रशासन को और अधिक सचेत करने के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए एक तंत्र विकसित करके यह विभाग प्रणालीगत परिवर्तन, संगठन और पद्धतयों के माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने, विलम्ब रोकने तथा नियमितता बनाये रखने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुधारत्मक कार्यों के अतिरिक्त यह विभाग सरकारी कार्यालयों के अमले की आवश्यकता के लिए जहां अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। उनके कार्य का अध्ययन तथा जांच करता है। सरकार में सभी स्तरों पर कारगर कार्यवाही उत्तरदायित्व, स्थायी और कुशल प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्न बहुआयामी नीतियां अपनाई जाती हैं:—

- 1) प्रबन्धन अध्ययन ।
 - 2) शिकायती क्षेत्रों की पहचान तथा उचित कार्यवाही हेतु अध्ययन ।
 - 3) प्रबन्ध सेवाएं ।
 - 4) प्रशासकीय सुधारों के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान आदि ।
 - 5) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, देरी तथा कार्य के प्रति उदासीनता को कम करना ।
 - 6) नागरिक अधिकार पत्रों को बनवाना व लागू करना ।
 - 7) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करना ।
 - 8) हरियाणा राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले ।
 - 9) सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू करना ।
 - 10) हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित सभी मामले ।
 - 11) हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण एंव उससे सम्बन्धित सभी मामले ।
 - 12) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने एंव उससे सम्बन्धित मामले ।
2. राज्य में सुशासन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय सुधार विभाग सरकार के विभिन्न विभागों तथा संगठन एंव विधिक गतिविधियों के लिए सहायता तथा मन्त्रणा प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:—
- 1) कार्यालयों में कार्य निपटान स्तर कम करने हेतु इकहरी मिसल प्रणाली को अपनाया जाना ।
 - 2) जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण एंव पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा करना ।
 - 3) कार्यालय तथा कार्य प्रणाली के सरलीकरण हेतु कागजी कार्यवाही को कम करने का तरीका ।
 - 4) सरकारी कार्यालय में नागरिकों के किसी उद्देश्य से बार-बार आने के अवसरों को कम करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना ।

- 5) सरकारी कार्यालयों में मिसल / कागजों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजने की प्रक्रिया को नियमित करना ।
- 6) हरियाणा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को समय—समय पर प्रशासनिक सुधार के लिए निर्देश जारी करना ।
- 7) निजी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पर शिकायतों का निवारण करने बारे कार्यवाही करना ।
3. प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना नवम्बर, 1983 में एक पृथक विभाग के रूप में की गई थी लेकिन इसके कार्य और सेवा अधिकार की सूचना 12 मार्च, 1988 को जारी की गई ।
4. इस विभाग में पांच निम्न शाखाएं बनाई हुई हैं:—
- (1) प्रशासकीय सुधार शाखा
 - (2) अमला निरीक्षण इकाई
 - (3) विलम्ब जांच इकाई
 - (4) आरोटी0आई0 सैल
 - (5) अनुसंधान इकाई
5. इस विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को उनके पूरे वर्ष के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए । उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने विभाग के विशेष महत्व के कार्य के लिए कैलेण्डर वर्ष में समय अनुसार सुधार के लक्ष्य निर्धारित करें । राज्य के सभी विभागों को अपने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने में भी सहायता कर रहा है ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके ।

वर्ष 2017–18 के दौरान इस विभाग की प्रशासकीय सुधार शाखा द्वारा 200 शिकायतें, 180 आरोटी0आई0 अपीलें, 35 प्रथम अपीलें और 15 द्वितीय अपीलों का निपटान हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत करवाया गया । इस शाखा द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 13) के तहत हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु मामला प्रारंभ किया गया तथा मामले को मन्त्री मण्डल से अनुमोदन करवाया गया । अमला निरीक्षण इकाई द्वारा दो विभागों का कार्याध्ययन किया गया । इस विभाग की विलम्ब जॉच इकाई द्वारा नव हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित सभी शाखाओं एंवं राजस्व विभाग का औचिक निरीक्षण किया गया । इस वर्ष, आरोटी0आई0 सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त 1467 आवेदनों को धारा 6(3) के तहत, 75 प्रथम अपीले धारा 19(1) के तहत एवं 29 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया । अनुसंधान इकाई द्वारा इस विभाग की 10 वर्षों से लम्बित एंवं गत वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गई ।

इस इकाई द्वारा एक चिंतन शिवीर का आयोजन करवाया गया जिसमें राज्य के चयनीत 46 खण्डों को प्रत्येक प्रशासकीय सचिव/वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवायें, भारतीय वन सेवायें के अधिकारीयों को प्रदर्शन, सुधार एवं परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु “टीम हरियाणा फार परिवर्तन” कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया।

6. 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ‘प्रभावी व उत्तरदायी सरकार’ में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया, इस विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया और राज्य सूचना आयोग हरियाणा भी बनाया गया।

हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा कलैन्डर अवधि 2017 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 9394 केसों का निपटान किया गया, धारा 20(1) के तहत 330 केसों में 51,31,249 रुपये की राशि के जुमारे लगायें गये, धारा 19(8)(बी) के तहत 174 केसों में 5,35,500 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई गई, धारा 20(2) के तहत 292 केसों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई। वर्ष 2017–18 में आयोग से दो राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत हुए थे और एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन सूचना आयुक्तों की नियूक्तियां भी की गई। इस वर्ष आयोग द्वारा 808.24 लाख रुपये खर्च किये गये।

7. सभी विभागों/संगठनों द्वारा पारिपालित की जा रही विभिन्न जन सेवा स्कीमों का समय पर लाभार्थी को लाभ मिल सके या समय पर लोक कार्यों का निपटान करने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 लागू किया गया है।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत 38 सेवाएं अधिसूचित की गई, अब तक 26 विभागों/बोर्डों/निगमों की कुल 302 सेवायें को अधिसूचित किया जा चुका है। इस वर्ष आयोग में प्राप्त 55 केसों में से 44 केसों का निपटान किया गया और आयोग ने किसी भी व्यक्ति/संस्था पर जुर्माना नहीं किया है और न ही किसी को भी उत्तरदायी ठहराया है। इस वर्ष के दौरान हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा इस अवधी के दौरान 275.89 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

8. हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य में सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यांकमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच०जी०आर०ए०) का गठन किया हुआ है। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4 / 30 / 2017—आर०य०, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है और इस प्राधिकारण की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एच०जी०आर०ए० द्वारा की गई सिफरिशों को सुनिश्चित करते हुए लागू करवाना है और अधिसूचना के शासन संरचना अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान हेतु 7 टास्क ग्रुप भी बनाये गये हैं।

9. प्रशासकीय सुधार विभाग में चौकसी जांच से सम्बन्धित कोई केस लम्बित नहीं है।

10. इस वर्ष श्री डी० एस० डेसी, भा०प्र०से०, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व श्री टी०सी० गुप्ता, भा०प्र०से० प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत रहे और श्री लीलू राम बतौर अवर सचिव रहे एवं श्री राकेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्य किया है।

हस्तः

(डी० एस० डेसी)

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,

प्रशासकीय सुधार विभाग।

चण्डीगढ़, दिनांक

15.09.2018

प्रशासकीय सुधार विभाग की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट

प्रशासकीय सुधार विभाग की पांच शाखाएं हैं अर्थात् प्रशासकीय सुधार शाखा, अमला निरीक्षण इकाई, विलम्ब जांच इकाई, सूचना का अधिकार सैल तथा अनुसंधान इकाई है। श्री डी०एस० डेसी, भा०प्र०से०, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं श्री टी०सी० गुप्ता, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार वर्ष 2017–18 में प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत रहे हैं और उनके कार्यों में उनकी सहायता करने के लिए श्री लीलू राम, अवर सचिव एवं श्री राकेश कुमार, अनुसंधान अधिकारी कार्यरत रहे हैं।

कार्य तथा उद्देश्य

1. भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यन्वित करना।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों की युनियनज, एसोसियेशनस को मान्यता देने वारे तथा नीति बनाना।
3. हरियाणा सिविल सचिवालय तथा वित्तायुक्त राजस्व के कार्यालय में लम्बित मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. लम्बित मामले जिनमें विशेष तौर से देरी की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है का निरीक्षण करना।
5. सभी राज्यों के कार्मिक एवं प्रशासकीय सचिवों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यन्वित करना।
6. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिए गये निर्णयों को कार्यन्वित करना।
7. सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का मूल्यांकन करना।
8. सचिवालय अनुदेशों को अप-टू-डेट करना।
9. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपस्थिति व लम्बित मामलों का आकस्मिक निरीक्षण करना।
10. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी सेवा स्कीमों को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना है।
11. सेवा स्कीमों को ई-सेवा के अधीन लाने हेतु भी इस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
12. हरियाणा सिविल सचिवालय तथा वित्तायुक्त राजस्व कार्यालयों की शाखाओं का निरीक्षण करना।
13. अनुसंधान इकाई द्वारा राज्य के सभी विभागों को उनके सेवाओं को अधिसूचित करवाना और नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने के बारे में निर्देश देना, ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ समय पर आम लोगों को मिल सके तथा निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। इस यूनिट द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार मोनिटरिंग तथा समीक्षा के बारे में पग उठाए हैं इस उद्देश्य के लिए हिदायतें जारी करना है।
14. अवकाश के दिनों में रविवार को छोड़कर प्राप्त बहुत आवश्यक तत्काल सन्दर्भों के निपटान बारे अक्सर सचिवों की ड्यूटी करना और सचिवों की ड्यूटी लगाना।

15. पद्धति प्रणालीयों का सरलीकरण करने के लिए तरीकों का सुझाव देना ताकि जनहित सेवाएं प्रदान करने में जनता को अधिक संतुष्टि मिल सके।
16. कटिंग एज आफ एडमिनिस्ट्रेशन को कार्यान्वित करना।
17. राज्य की विभिन्न विभागों के अनुपयोगी स्टेटमैन्ट रिटर्नज फार्मस को समाप्त करना।
18. प्रशासकीय सुधार के क्षेत्र की गतिविधियों के बारे दूसरे राज्यों से प्राप्त प्रकाशनों का अध्ययन तथा निपटान करना।
19. राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का अध्ययन तथा निपटान करना।
20. विभिन्न विभागों के कार्य करने के तौर तरीकों में सुधार लाने हेतु कार्य व प्रबंध का गहन अध्ययन करना तथा इस प्रकार तैयार किए गए प्रस्तावों को लागू करने हेतु उचित पग उठाना।
21. रिकार्ड के रख-रखाव बारे हिदायतें जारी करना।
22. राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने के दिशा-निर्देशों को तैयार करना एवं हिदायतों को अप-टू-डेट करना तथा कार्यान्वित करना है।

प्रशासकीय सुधार शाखा

प्रशासकीय सुधार शाखा, प्रशासकीय सुधार विभाग की तालमेल शाखा है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य प्रबन्ध सेवाओं कार्यकुशलता कार्यालय में नियमितता तथा कार्य निपटाने में देरी को समाप्त करने बारे आवश्यक हिदायतें जारी करना सचिवालय हिदायतों को अप-टू-डेट करना, छः मास से अधिक पुराने लम्बित पडे केसों के बारे में सूचना एकत्रित करना है और इस विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटान करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस शाखा द्वारा 200 शिकायतें, 180 आरोटी0आई0 अपीलें, 35 प्रथम अपीलें और 15 द्वितीय अपीलें प्राप्त हुईं सभी का निपटान करवाया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राज्य में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने बारे विशेष पग उठाये गये तथा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी की गई है एंवं सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना हेतु दिनांक 21.12.2009 को नियमावली की अधिसूचित की हुई है। इस आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 सूचना अयूक्तों और अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था करवाई हुई है तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन करवाये जाते हैं। वर्ष 2017–18 में आयोग से 2 राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत किये गये और 1 मुख्य सूचना आयुक्त एवं 3 सूचना आयुक्तों की नियूक्तियां भी करवाई

गई। राज्य सूचना आयोग हरियाणा को वर्ष 2017–18 के लिए 844.00 लाख रुपये की राशि अनुमोदित करवाई गई।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की अधिसूचना दिनांक 26.03.2014 को की गई और हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए 1 जुलाई, 2014 को नियमावली भी अधिसूचित की हुई है और इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं चार राज्य सूचना अयूक्तों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था करवाई हुई है ताकि सेवाओं का लाभ आम लोगों को समय पर मिल सके। इस शाखा द्वारा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 38 सेवायें अधिसूचित करवाई गई अब तक 26 विभागों/बोर्डों/निगमों की कुल 302 सेवायें को अधिसूचित करवाई जा चुकी हैं। (इस सम्बन्ध में पृष्ठ 18 पर अनुबन्ध—ए० देखें)। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए 327.70 लाख रुपये की राशि अनुमोदित करवाई गई।

इस शाखा द्वारा हरियाणा राज्य में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 13) के तहत राज्य में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हेतु हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण (प्रोसीजर) नियम, 2017 और हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक) नियम, 2017 को पत्र क्रमांक 4/3/2015–4ए०आर० दिनांक 01.12.2017 से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली को वैटिंग के लिए भेजा गया है और इस अधिकरण की स्थापना हेतु मामले का अनुमोदन दिनांक 16.01.2018 को मन्त्री मण्डल की बैठक में करवाया गया।

अमला निरीक्षण यूनिट

यह इकाई अन्य विभागों और उनके कार्यालयों में अमले की आवश्यकता की जांच करने के लिए कार्याध्ययन करता है जब भी किसी विभाग/संगठन के कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग की जाती है तब उस विभाग में निर्धारित अवधि के दौरान इस इकाई द्वारा कार्याध्ययन किया जाता है। वर्ष 2017–18 में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 विभागों का कार्याध्ययन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

अमला निरीक्षण इकाई द्वारा दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक किये गये कार्याध्ययन / निरीक्षण की सूची निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्याध्ययन की तिथि	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्याध्ययन के आधार पर सिफारिश किए गए पद	कार्याध्ययन के आधार पर सरप्लस किए गए पद	विशेष कथन
1	हरियाणा सैनिक एंव अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ।	01.05.2017 से 05.05.2017				
	रक्षा शाखा—A	01.05.2017 से 05.05.2017	05	05	—	
	रक्षा शाखा—G	01.05.2017 से 05.05.2017	05	04	1	
2	पुलिस विभाग	12.06.2017 से 16.06.2017				
	आपरेशन शाखा (अस्थाई शाखा)	12.06.2017 से 16.06.2017	15 (पद स्वीकृत नहीं हैं)	11 पदों का औचित्य	—	
	स्थापना शाखा—G (अस्थाई शाखा)	12.06.2017 से 16.06.2017	15 (पद स्वीकृत नहीं हैं)	5 पदों का औचित्य	—	
	परिचालन शाखा (अस्थाई शाखा)	12.06.2017 से 16.06.2017	12 (पद स्वीकृत नहीं हैं)	11 पदों का औचित्य	—	

विलम्ब जांच इकाई

विलम्ब निरीक्षण इकाई का मुख्य कार्य हरियाणा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों एंव मुख्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करना है। यह शाखा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुदेशों की अनुपालना और किसी कर्मचारी द्वारा उनका अनुपालन न करने पर उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करना सुनिश्चित करती है। यह अनुभाग निरीक्षण के दौरान मिले मामलों में उनमें होने वाले अंतिम निर्णय तक अनुगामी कार्यवाही करता है। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान इस अनुभाग ने प्रशासकीय सुधार विभाग की सभी शाखाओं से मिलकर नव हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थित सभी शाखाओं एंव राजस्व विभाग का दिनांक 25.05.2017 को औचिक निरीक्षण किया गया। इन केसों के अध्ययन उपरांत विलम्ब के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने बारे विभागों को सिफारिशें भेजी गईं।

सूचना का अधिकार सैल

इस सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अन्य सभी विभागों/बोर्डों/निगमों एंव सरकारी संगठनों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों, प्रथम अपीलों एवं द्वितीय अपीलों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/संगठनों को स्थानान्तरित किये जाते हैं तथा हरियाणा सूचना आयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों पर सरकार की तरफ से कार्यवाही करते हुए केसों का निपटान भी इस सैल द्वारा करवाया जाता है। वर्ष 2017–18 में आरोटी0आई0 सैल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्राप्त 1467 आवेदनों का, धारा 19(1) के तहत प्राप्त 75 प्रथम अपीलों का और 29 द्वितीय अपीलों का निपटान किया गया।

अनुसंधान इकाई

अनुसंधान इकाई द्वारा भारत सरकार से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजना तथा प्राप्त सूचनाओं से संकलित/समग्र रिपोर्ट तैयार करना। दूसरी राज्य सरकारों एंव भारत सरकार में हुई उपलब्धियों के बारे सूचनाओं का आदान प्रदान करना और राज्य के सभी सम्बन्धित विभागों/निगमों/बोर्डों/संगठनों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना। नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने के बारे में निर्देश दिए जाते हैं, ताकि उन द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके और निर्धारित अवधि में कार्य न होने की स्थिति में उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। इस यूनिट द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार मोनिटरिंग तथा समीक्षा के बारे में पग उठाए हैं इस उद्देश्य के लिए हिदायतें जारी करना है, विभागीय वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट तैयार करके अनुमोदित करवाना एंव मुद्रित करवाना है तथा और प्रधान मन्त्री अवार्डों एवं अन्य अवार्डों के लिए विभागों के नामों की सिफारिश भारत सरकार को करना।


इस विभाग की 10 वर्षों (वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक) की लम्बित वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट एंव गत वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट तैयार की गई और दिनांक 25.07.2017 को हुई मन्त्री मण्डल की बैठक में अनुमोदित करवाने उपरान्त मुद्रित करवाकर प्रकाशित की गई।

इस शाखा द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच०जी०आर०ए०) स्थापना करवाई गई। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4/30/2017—आर०य००, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य में सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए किया गया है। इस प्राधिकारण की अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एच०जी०आर०ए० द्वारा की गई सिफरिशों को सुनिश्चित करते हुए लागू करवाना है और अधिसूचना के शासन संरचना अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान हेतु 7 टास्क ग्रुप भी बनाये गये हैं। इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा 5 बैठकें की गई तथा टास्क ग्रुप द्वारा 3 बैठकें की गई हैं।

इस शाखा द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में सभी मन्त्रीयों एवं सभी विभागों के प्रशासकीय सचिवों के साथ राज्य की जन हित सेवाओं की समीक्षा और सुधारात्मक परिवर्तन लाने हेतु दिनांक 15.12.2017 से 17.12.2017 तक परवाणू हिमाचल प्रदेश में चिंतन शिवीर का आयोजन करवाया गया जिसमें हरियाणा राज्य के चयनित 46 खण्डों में प्रदर्शन, सुधार एवं परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु “टीम हरियाणा फार परिवर्तन” कार्यक्रम चलाया गया इस कार्यक्रम में राज्य के प्रशासकीय सचिवों/वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवायें, भारतीय पुलिस सेवायें, भारतीय वन सेवायें के अधिकारियों को एक-एक खण्ड आबंटित किया गया ताकि सुधारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

प्रशासकीय सुधार विभाग की प्रशासकीय संरचना

(स्वीकृत पदोनुसार प्रशासकीय संरचना)



वर्ष 2017–18 में प्रशासकीय सुधार विभाग में कार्यरत अमले का विवरण

क्र० स०	शाखा / विभाग का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रशासकीय सुधार विभाग	अवर सचिव	1	1	—
		जुनियर स्कैल स्टैनो	1	—	1
		सेवादार	1	—	1
2.	प्रशासकीय सुधार शाखा	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	6	4	2
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी0ई0ओ0	1	—	1
		सेवादार	1	—	1
3.	अमला निरिक्षण इकाई	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	4	2	2
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी0ई0ओ0	1	1	—
		सेवादार	1	—	1
4.	विलम्ब जांच इकाई एवं आर0टी0आई0	अधीक्षक	1	1	—
		सहायक	5	3	2
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी0ई0ओ0	1	1	—
		सेवादार	1	1	—
5.	अनुसंधान इकाई	अनुसंधान अधिकारी	1	1	—
		सहायक	1	1	—
		सहायक अनुसंधान अधिकारी	2	—	2
		स्टैनो टाईपिस्ट	1	—	1
		लिपिक / डी0ई0ओ0	1	—	1
		सेवादार	1	1	—
		कुल संख्या	37	19	18

राज्य चौंकसी विभाग की रिपोर्ट

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान इस विभाग से भ्रष्टाचार का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस विभाग से विषयांकित मामले की सूचना शुन्य है।

हरियाणा राज्य सूचना आयोग

24 मई, 1997 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी व उत्तरदायी सरकार' में सर्व सम्मति में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। स्वतंत्रता के अधिकार नियम, 2002 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। केन्द्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना दिया गया। प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा भी प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया हुआ है जिसका मुख्य कार्यालय एस0सी0ओ0 70–71, सैक्टर 8सी0, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ में स्थापित किया हुआ है। इस आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों के कार्यों के निपटान हेतु द्वितीय अपीलों के केसों की सूनवाई करने के लिए एक मुख्य सूचना अयुक्त एंव 10 राज्य सूचना आयुक्तों की के पद स्वीकृत करवाये गये हैं तथा केसों को समय पर निपटान हेतु कर्मचारियों एंव अधिकारियों के कुल 40 पद सूजित करवाये हुए हैं। वर्ष 2016–17 से आयोग द्वारा विडियों कान्फैनसीगं से भी केसों की सूनवाई की जा रही है।

वर्ष 2017 में आयोग के पास गत वर्ष के शेष 1574 केसों सहित कुल 9800 केस थे जिसमें से 9394 केसों का निपटान किया गया अर्थात धारा 18(2) के तहत 1285 केसों एंव धारा 19(3) के तहत 8109 का केसों का निपटान किया गया। वर्ष 2017 में आयोग द्वारा प्राप्त द्वितीय अपीलों के निपटान करने पर लगाये गये जुर्माना करवाई गई व क्षतिपूर्तियां और दण्डनातमक केसों की सूची निम्न प्रकार से हैं:—

धारा 20(1) के तहत		धारा 19(8) (बी)			धारा 20(2)
केसों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपयों में)	केसों की संख्या	दिलाई की क्षतिपूर्ति राशि (रुपयों में)	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजे गये केसों की संख्या	
330	51,31,249	174	5,35,500	292	

वर्ष 2017–18 में 844.00 लाख रुपये आबंटित किये गये थे जिसके विरुद्ध 808.24 लाख रुपये खर्च किये गये।

वर्ष 2017–18 में आयोग से 2 राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त हुए और एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां भी हुई। इस वर्ष दौरान हरियाणा राज्य सूचना आयोग में कार्यरत रहे मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का तिथिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	नाम एवं पद संज्ञा	जन्म की तिथि	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	श्री यशपाल सिंगल, आई0पी0एस0 (सेवानिवृत्त), मुख्य सूचना आयुक्त	24.03.1957	28.04.2017	23.03.2022
2	मेजर जनरल जे0एस0 कुन्डू (सेना से सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	01.03.1953	03.09.2012	02.09.2017
3	श्री प्रलाहद राय मीणा, आई0पी0एस0 (सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	14.08.1952	03.09.2012	14.08.2017
4	श्री समीर माथूर, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), राज्य सूचना आयुक्त	25.08.1953	01.11.2013	24.08.2018
5	श्री योगेन्द्रपाल गुप्ता (पत्रकार), आयुक्त	09.07.1953	01.11.2013	08.07.2018
6.	श्री हेमन्त अत्रे (पत्रकार), राज्य सूचना आयुक्त	04.06.1974	01.11.2013	31.10.2018
7.	श्री शिव रमन गौड, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	03.04.1954	27.07.2014	02.04.2019
8.	श्रीमति रेखा (शिक्षक) राज्य सूचना आयुक्त	10.09.1967	27.07.2014	26.07.2019
9.	श्री भूपेन्द्र सिंह धर्मानी, (पत्रकार), राज्य सूचना आयुक्त	20.06.1958	01.04.2016	03.03.2021
10.	श्री सुखबीर सिंह गुलिया, (कानून), राज्य सूचना आयुक्त	16.07.1954	01.04.2016	15.07.2019
11.	श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य सूचना आयुक्त	15.02.1957	28.04.2017	14.02.2022
12	श्री चन्द्र प्रकाश, राज्य सूचना आयुक्त	20.10.1954	29.12.2017	19.10.2022
13	श्री अरुण सागवान, राज्य सूचना आयुक्त	03.07.1981	29.12.2017	02.07.2022

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया गया था कि नागरिकों को एक समयबद्ध अवधि में सेवायें देना सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में श्री नारायणसामी, राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त अर्थसरकार पत्र क्रमांक ए0—15013/2/2011—पी0जी0(वाल्यूम—2)पार्ट दिनांक 17/11/2011 के साथ प्राप्त भारत सरकार का नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक 2011 की प्रति प्राप्त हुई थी और दिनांक 30.12.2011 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य में सेवा के अधिकार अधिनियम को तुरन्त कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में नागरिकों की आकाश्वांओं के अनुरूप एक निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता तंत्र पर कानून का सकारात्मक दबाव पड़ सके।

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2013 को एक अध्यादेश नामतः हरियाणा सेवा का अधिकार अध्यादेश, 2013 जारी किया गया था। तदोपरान्त हरियाणा विधान सभा सत्र में दिनांक 26.03.2014 को हरियाणा राज्य में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 जारी किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राज्य की जनता को समयब) तरीके से सेवायें प्रदान करने से है। इस अधिनियम की धारा 13 (1) के अन्तर्गत जुलाई, 2014 में गठित आयोग का कार्यालय एस0सी0ओ0 38—39, दूसरा एवं तीसरा तल, सैक्टर 17ए0, चण्डीगढ़ में स्थापित किया हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिनाम अधिनियम के अधीन नियम भी बनाये गये हैं। अधिनियम की धारा 17(4) के तहत प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एतद् द्वारा अपने कार्यों के प्राभावशाली प्रबन्धन के लिए विनियम बनाए है। यह विनियम हरियाणा सेवा आयोग (प्रबन्धन) विनियम—2015 कहे जाते हैं। इस आयोग के विनियम के अन्तर्गत एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्तों के पद स्वीकृत करवाये गये हैं तथा केसों को समय पर निपटान हेतु कर्मचारियों एंव अधिकारियों के कुल 44 पद सृजित करवाये हुए हैं।

वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए0आर0 द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक 38 सेवाये अधिसूचित करवाई गई और अक तक 26 विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल 302 सेवायें अधिसूचित करवाई गई है। आयोग के पास गत वर्ष के शेष सहित कुल 55 केस थे जिसमें से 44 केसों का निपटान किया गया। वर्ष 2017–18 में आयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति/संस्था पर जुर्माना/क्षतिपूर्तियां/दण्डनातमक स्वरूप उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

वर्ष 2017–18 में आयोग को 268.70 लाख रुपये आबंटित किये गये थे जिसे संशोधित करके 327.70 लाख रुपये कर दिया गया, जिसके विरुद्ध) आयोग द्वारा 275.89 लाख रुपये खर्च किये गये।

वर्ष 2017–18 में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में कार्यरत रहे मुख्य आयुक्त एंव आयुक्तों एंव उनकी नियुक्ति तथा सेवानिवृत्त का तिथिवार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	नाम एंव पद संज्ञा	जन्म की तिथि	नियुक्ति की तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	श्री एस0 सी0 चौधरी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), मुख्य आयुक्त	06.04.1954	01.08.2014	05.04.2019
2	श्री सरबन सिंह, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	21.12.1954	27.07.2014.	26.07.2019
3	डॉ0 अमर सिंह, आयुक्त	15.02.1956	27.07.2014	26.07.2019
4	श्री सुनिल कत्याल, आयुक्त	16.04.1956	27.07.2014	26.07.2019
5	श्री हरदीप कुमार, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), आयुक्त	06.12.1956	13.02.2017	05.12.2021

हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच०जी०आर०ए०)

राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए विभिन्न विकास कार्यालयों, सेवाओं और स्कीमों के उपयोग की सरलता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा उत्पीड़न से छुटकारा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एच०जी०आर०ए०) का गठन किया गया है। जिसकी अधिसूचना क्रमांक 4 / 30 / 2017—आर०य०, दिनांक 04.01.2017 को जारी की गई है और इस प्राधिकारण की अधिसूचना क्रमांक 4 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का भी गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ए०जी०आ०ए० द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करके सुनिश्चित करना है और अधिसूचना के क्रमांक 5, शासन संरचना के अनुसार विशेष कार्यों के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु 7 टास्क ग्रुप भी बनाये गये हैं। इस प्राधिकरण का कार्यालय एस०सी०ओ० 58—59, दूसरा एवं तीसरा तल, सी०एम०सी० भवन, सैक्टर 17सी०, चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी विभागों/निगमों/बोर्डों/संगठनों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/परियोजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रथम बैठक दिनांक 20.01.2017, त्रितीय बैठक जून, 2017, तृतीय बैठक 19.09.2017, चौथी बैठक 06.12.2017 एवं पांचवीं बैठक 19.03.2018 को बुलाई जा चुकी है तथा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में गठित कार्य समुह की “नार्मज प्रोसीजर एवं प्रोसैस रि—इंजिनियरिंग फार इण्डस्ट्रीयल डिवेलैपमैट” की बैठक दिनांक 06.12.2017 को, “पुलिस सर्विस डिलीवरी” की बैठक दिनांक 26.03.2018 को एवं “पब्लिक पॉलसी फार वूमैन सैफटी एण्ड जैन्डर जसटिस” की बैठक दिनांक 27.03.2018 को हुई।

अनुबन्ध— ए

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा दिनांक 31.03. 2017 तक विभिन्न विभागों की सेवाये अधिसूचित की गई है जो निम्न प्रकार से है।

अनुसूची

सेवायें क्रमांक क्रम संख्या	क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदान्वित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	डियूटी पटवारी-1	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
2			(ii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से कम है)	2 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
3			(iii) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 5 से अधिक किन्तु 15 से कम है)	3 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
4			(iv) गाँव स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् सेवा का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि (यदि मांगी गई प्रतियां हस्त्य हैं तथा मांगे गए पृष्ठों की संख्या 15 से अधिक है)	7 दिन	पटवारी	सम्बद्ध तहसील का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट
5	2		भूमि का सीमांकन यदि खड़ी फसल नहीं खड़ी तो	45 दिन	सर्कल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

6	3	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	सभी प्रकार के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन अर्थात् विक्रय, जी.पी.ए. भागीदारी विलेख इत्यादि	1 दिन	उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
7	4		सभी प्रकार के पूर्व रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ	7 दिन	उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार (उप तहसीलों के मामले में)	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
8	5.		अविवादित इन्तकाल का सत्यापन	30 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
9	6		भूमि का निजी बटवारा भूमि स्वामियों की आपसी सहमति	60 दिन	सर्किल राजस्व अधिकारी	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
10	7		आय प्रमाण-पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
11	8		क्षेत्र/उत्तराधिकार/आश्रित प्रमाण-पत्र/प्रतिहस्ताकर इत्यादि	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
12	9.		रहन प्रथम प्रभार (मोटरगेज फर्स्ट चार्ज)	15 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
13	10.		हस्तातरण विलेख का रजिस्ट्रेशन	1 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
14	11		पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में रूपांतरण	30 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
15	12		अनुसूचित जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
16	13		पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
17	14		अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
18	15		विषेश पिछड़ी जाति प्रमाण -पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
19	16		ठपरीवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
20	17		विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
21	18		आर्थिक रूप से पिछड़ी सामान्य जाति प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
22	19		आवास प्रमाण-पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

23	20	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण—पत्र	7 दिन	सम्बद्ध उप मण्डल का तहसीलदार	सम्बद्ध उप—मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
24	20 क		जलसा / जनसभा / जलूस / भोभा यात्रा / छठ पूजा / विवाह हेतु उपबंध (केवल एस०पी०, एस० डी० एम०, एम०सी० फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
25	20 ख		फनफेयर/सर्कस/मैजिक भो हेतु अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, एस० सी० फायर तथा आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
26	20 ग		टूर्नामेंट/खेल के लिए अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, खेल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
27	20 घ		जलसा/ सार्वजनिक बैठक/ जलूस/भोभा यात्रा / छठपूजा/ विवाह के लिये लाउडस्पीकरों /डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू ।	3 दिन	उप मंडल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
28	20 झ		फनफेयर/सर्कस/मैजिक भो हेतु लाउडस्पीकरों / डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
29	20 च		टूर्नामेंट/खेल हेतु लाउडस्पीकरों /डीजे की अनुमति (केवल स्थानीय एस०एच०ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मैजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त

30	20 छ	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	लाउडस्पीकरों/डीजे के लिए अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	3 दिन	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मण्डल आयुक्त
31	20 ज		संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन हेतु परमिट/अनुमति (केवल एस0पी०, एस0डी०एम०, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्चाचन आयोग के आदेशानुसार	जिलाधीश/उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	मुख्य निर्चाचन अधिकारी, हरियाणा
32	20 झ		विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट/अनुमति (केवल स्थानीय एस0एच0ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्चाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्चाचन अधिकारी, हरियाणा
33	20 अ		विधानसभा/ राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल एस0एच0ओ० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्चाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्चाचन अधिकारी, हरियाणा
34	20 ट		संसदीय चुनाव अभियान के दौरान वाहन पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति (केवल एस0पी०, एस0डी०एम०, से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में)	निर्चाचन आयोग के आदेशानुसार	उप मंडल मजिस्ट्रेट	उपायुक्त	मुख्य निर्चाचन अधिकारी, हरियाणा”
35	20 ठ		प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस	5 दिन	जिला कलक्टर	मण्डल आयुक्त	सचिव, राजस्व
36	20 ड		प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस का नवीनीकरण	5 दिन	जिला कलक्टर	मण्डल आयुक्त	सचिव, राजस्व
37	20 ढ		हिन्दू डोगरा समुदाय प्रमाण—पत्र	7 दिन	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	उप मंडल मजिस्ट्रेट एवं उप मंडल अधिकारी (ना०)	उपायुक्त
38	20 ण		सी०एस०सी० से विलेख पंजीकरण के लिए समय (प्रति सी०एस०सी० अधिकतम दो के समय के अध्यधीन प्रति दिन प्रति तहसील अधिकतम दस को समय) देना	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार

39	20 त	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	विलेख के पंजीकरण हेतू आनेलाईन समय (अधिकतम दस को प्रति दिन प्रति तहसील समय) देना	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
40	20 थ		लिखित जैसे विक्रय हस्तांतरण—पत्र, रेहन, पटटा/ किराये इत्यादि के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
41	20 द		लिखित जैसे मुख्तारनामा, वसीयत प्राधिकार ग्रहण करना, दत्तक विलेख, तलाक विलेख करार इत्यादि के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
42	20 ध		लिखित जैसे निर्माण, हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, विभाजन तथा अन्य दस्तावेजों के लिए विलेख लेखन	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
43	20 न		द्वितीय प्रति	उसी दिन	उप रजिस्ट्रार/ संयुक्त उप रजिस्ट्रार	उप मंडल अधिकारी (ना०) एवं उप रजिस्ट्रार	उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार
44	21	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषध निर्माण अनुज्ञा का नवीनीकरण	45 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्राप्ति आसन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
45	22.		बल्क दवाओं/ योगों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना	15 दिन	राज्य औषध नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन	अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग
46	22 क.		खुदरा औषधि अनुज्ञाप्ति (फार्मसी) जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
47	22 ख.		औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधीन रक्त बैंक संचालन के लिए अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
48	22 ग.		औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) तथा भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) के अधीन अस्पताल (दानों बहिरंग	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग

			तथा अंतरंग फार्मसी) में औषधि स्टोर के संचालन के लिए पंजीकरण जारी करना				
49	22 घ.	खाद्य तथा औषधि प्रशासन	रक्त बैंक खोलने तथा चलाने के लिए पंजीकरण जारी करना (स्थानीय खाद्य तथा औषधि प्राधिकारी)	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
50	22 ड.		राज्य औषधि नियंत्रक संस्थान द्वारा राज्य में फार्मसी स्थापित करने के लिए औषधि अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग"
51	22 च.		थोक औषधि अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
52	22 छ.		खुदरा औषधि अनुज्ञाप्ति (फार्मसी) का नवीकरण जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
53	22 ज.		ओषधि और प्रसाधन साम्रगी अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) के अधिन रक्त बैंक संचालन के लिए अनुज्ञाप्ति का नवीकरण जारी करना	30 दिन	राज्य औषधि नियंत्रक	आयुक्त, खाद्य तथा औषधि प्रशासन	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग
54	23	स्वास्थ्य विभाग	जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ –ग्रामीण क्षेत्र (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिए पूर्व वर्षों के लिए	14 दिन 30 दिन	जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सम्बद्ध जिले के उप सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु— सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
55	24	स्वास्थ्य/ शहरी स्थानीय निकाय	पूर्ण आयोदन पत्र के प्रस्तुतिकरण पर जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण (घटना के एक वर्ष बाद)	60 दिन (रजिस्ट्रार , जिला रजिस्ट्रार तथा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रत्येक के लिए 20 दिन)	सम्बद्ध रजिस्ट्रार/ जिला रजिस्ट्रार	सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
56	25		जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र (नाम प्रविष्टि तथा नया जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ)	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं उप सिविल सर्जन, जो भी लागू हो।	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

57	26		पूर्ण आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के बाद जन्म तथा मृत्यु की प्रविष्टि का शुक्रिरण	30 दिन	सम्बद्ध स्थानीय/ यथा लागू जिला रजिस्ट्रार	सम्बद्ध जिले का रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु)	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
58	27	स्वास्थ्य/ शहरी स्थानीय निकाय	(i) जन्म/मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतियां—नगर निगम शहर चालू वर्ष के लिए पहले से ही पंजीकृत (ii) जन्म/मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतियां—नगर कस्बों चालू वर्ष के लिए पहले से ही पंजीकृत	14 दिन 30 दिन 7 दिन 15 दिन	सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) सम्बद्ध नगर निगम के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) सम्बद्ध उप—मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट	सम्बद्ध नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध जिले का उपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
59	28	शहरी स्थानीय निकाय	जल आपूर्ति तथा मलवहन कानौकशन (केवल नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद में लागू)	7 दिन	सम्बद्ध नगर निगम में सहायक अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में कार्यकारी अभियन्ता	सम्बद्ध नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
60	29		नगर निगम, नगर परिषद, नगर समितियों में हस्तांतरण अभिलेख जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी, (सम्ब.) नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी तथा सम्ब.) नगर पालिका समिति में सचिव	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्ब.) उप मण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रैट	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त, परिषदों तथा समितियों के मामले में सम्ब.) जिला का उपायुक्त
61	30		नगर निगम द्वारा नई व्यवसाय अनुज्ञाप्ति जारी करना	15 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
62	31		नगर निगमों द्वारा व्यावसाय अनुज्ञाप्ति का नवीकरण	12 दिन	नगर निगम में आंचलिक कराधान अधिकारी	नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त	निगम के मामले में संयुक्त आयुक्त
63	32		गलियों/सड़कों से टोस अपशिष्ट हटाना	2 दिन	नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक, (सम्ब.) नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक तथा नगर पालिका समिति में सफाई निरीक्षक	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अधिकारी/उप नगर पालिका आयुक्त, नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी/उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी	निगम शहरों के मामले में संयुक्त आयुक्त, नगर पालिका कस्बों के मामले में सम्ब.) उप मण्डल का उप मण्डल अधिकारी

64	33	शहरी स्थानीय निकाय	स्ट्रीट लाईट्स का प्रतिस्थापन	10 दिन	निगम शहरों में सहायक अभियन्ता, सम्ब) नगर पालिका परिषद तथा समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में कार्यकारी अभियन्ता, सम्ब) नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में नगर पालिका अभियन्ता	निगम शहरों के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता सम्ब) नगर पालिका परिषदों तथा समितियों में सम्ब) उपमण्डल का उप मण्डल अधिकारी
65	34		वाटर लिकेज/सिवरेज ब्लाकड/ओवर फ्लो (नगर निगम गुडगांव तथा फरीदाबाद के मामले में)	2 दिन	नगर निगम गुडगांव या फरीदाबाद के सम्बन्ध में निगम शहरों में सहायक अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में कार्यकारी अभियन्ता	नगर निगम फरीदाबाद तथा गुडगांव के मामले में अधीक्षक अभियन्ता/ कार्यकारी अभियन्ता
66	35		(i) 1000 वर्गमीटर तथा उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगों के सिवाय सभी उपयोगों तथा आकारों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध उपमण्डल का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम के मामले में सम्बद्ध नगर निगम का आयुक्त	नगर पालिका परिषद/ समितियों के मामले में सम्बद्ध जिले का उपायुक्त तथा नगर निगम के मामले में प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहर स्थानीय निकाय विभाग
67			(ii) 1000 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहर स्थानीय निकाय विभाग	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
68			(iii) 5000 वर्गमीटर तथा से अधिक के स्थलों के लिए वाणिज्यिक/ संस्थागत उपयोगों के लिए मूल नगर पालिका सीमाओं में स्वीकृत भवन योजना	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार शहर स्थानीय निकाय	निदेशक शहर स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
69			(iv) नगर पालिका गुडगांव तथा फरीदाबाद में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन (5 एकड़ तक)	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर निगम गुडगांव /फरीदाबाद	आयुक्त नगर निगम गुडगांव /फरीदाबाद	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
70			(v) 5 एकड़ से अधिक के स्थलों के लिए गुडगांव तथा फरीदाबाद में तथा अन्य नगर	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार

			निगमों/ परिषदों/समितियों में भूमि उपयोग मामले में परिवर्तन के लिए अनुमति की भवन योजना का अनुमोदन				
71	36	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	नगर पालिका सीमाओं के भीतर आने वाले विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्थलों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति सिवाय उन मामलों में जहां सरकार की सक्षमता है	60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार नगर शहरी स्थानीय निकाय विभाग	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
72	37		अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनकरण	15 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एस० डी० ओ० (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त
73	38		निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) जारी करना:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊँचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊँचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊँचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-7) ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊँचाई के कस्टडियल (परीक्षक) तथा दण्डक तथा प्लैन्टल घ) 4000 वर्ग मीटर तक के	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एस० डी० ओ० (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

		<p>प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊँचाई के सभा भवन (डी-१ से डी-८)</p> <p>ड)4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊँचाई के मर्केटाइल और व्यापार भवन (इ, एफ-१ एफ-२)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊँचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-१)</p> <p>(ii) ऊँचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (साधारण खतरनाक (जी-२)</p> <p>(iii) ऊँचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लाट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-३)</p> <p>(छ) ऊँचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>				
74	39	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	<p>निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-</p> <p>(क) आवासीय भवन (ए):-</p> <p>i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु ऊँचाई में 35 मीटर से अधिक की शयनशाला (ए-३) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमेंट हाउस)(ए-४)</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम</p>	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	<p>नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त</p> <p>नगर निगम के मामले में अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग जबकि नगर परिषद द्वारा समितियों के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।</p>

		<p>उंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के भौक्षणिक भवन (बी)</p> <p>(ग) संस्थागत भवन (सी)</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सैनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1) ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की उंचाई के कस्टोडियल(सी-2) (परीक्षक) तथा दण्डक तथा प्लैन्टल (सी-3) <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ङ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मर्किटाइल और व्यापार भवन (ई, एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के कम खतरनाक (जी-1) औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) 			
--	--	--	--	--	--

			(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के साधारण खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) औद्योगिक भवन(एच) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के प्लाट सहित 15 मीटर से कम उचाई के भण्डारण भवन ।				
75	40	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	क्रम संख्या 38 तथा 39 में न आने वाले भवनों के मामले के राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) जारी करना ।	60 दिन	अग्नि अधिकारी मुख्यालय	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	
76	41		निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अग्निभासन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण:- क) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उचाई के होटल (ए-5) ख) 8000 वर्ग मीटर तक के प्लाट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की उचाई के शैक्षिक भवन (बी) ग) संस्थागत भवन (सी) i) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया (रोगनाशक) तथा	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप- मण्डल का एस0डी0ओ0 (सिविल), नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का संयुक्त आयुक्त	नगर समिति तथा परिषद के मामले में संबंधित जिले का उपायुक्त नगर निगम मामले में संबंधित निगम का आयुक्त

		<p>नर्सिंग होम (सी-१)(</p> <p>ii) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (परिक्षक) (सी-२) तथा दण्डक तथा प्लॉन्टल (सी ३)</p> <p>घ) 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी १ से डी ५), ड 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मरकाटाईल एवं व्यापार भवन (इ, एफ-१ एवं एफ-२)</p> <p>च) औद्योगिक भवन (जी)</p> <p>(i) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (कम खतरनाक (जी-१)</p> <p>(ii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (साधारण खतरनाक) (जी-२)</p> <p>(iii) ऊंचाई में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र (उच्च खतरनाक (जी-३)</p> <p>छ) ऊंचाई में 15 मीटर से कम तथा 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच)</p>					
77	42	शहरी स्थानीय निकाय	निम्नलिखित के मामले में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन के मामले में अग्नि अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना:-	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, नगर निगम के मामले में संबंधित निगम का आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग। नगर समिति तथा परिषद के मामले में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय।

		<p>(क) आवासीय भवन (ए):—</p> <p>(i) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु उंचाई में 35 मीटर से अधिक नहीं की शयनशाला (ए-3) तथा फ्लैट गृह (अपार्टमैन्ट हाउस) (ए-4)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के होटल (ए-5)</p> <p>(ख) 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (डी)</p> <p>(ग) संस्थागत भवन (सी)</p> <p>(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के अस्पताल, सेनाटोरिया (रोगनाशक) तथा नर्सिंग होम (सी-1)</p> <p>(ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लाट क्षेत्र के 10 मीटर से कम उंचाई कस्टोडियल (सी-2) और पैनल एवं पैलेन्टल (सी-3)</p> <p>(घ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5)</p> <p>(ङ.) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मार्कटाईल एवं व्यापार भवन (इ एफ-1 तथा एफ-2)</p> <p>(ज) औद्योगिक भवन (जी)</p>		
--	--	--	--	--

			(i) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-1) (ii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन औद्योगिक भवन मध्यम खतरनाक (जी-2) (iii) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के औद्योगिक भवन उच्च खतरनाक (जी-3) (छ) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन (एच)			
78	43	शहरी स्थानीय निकाय विभाग	41 तथा 42 में न आने वाले भवनों के मामलों में राष्ट्रीय भवन को नामावली के अनुसार भवनों के मामले में अनिं शमन स्कीम का अनुमोदन तथा नवीनकरण।	60 दिन	अग्नि केन्द्र अधिकारी	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
79	44		सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन /मृत्यु मामले के सिवाए	15 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त
80	45		सम्पत्ति कर रजिस्टर में मालिक/अधियोगी का परिवर्तन /मृत्यु मामले में	45 दिन	सचिव/ई.ओ./सम्बद्ध नगर समिति/परिषद/निगम में जोनल कराधान अधिकारी	नगर समिति तथा परिषद के मामले में सम्बन्धित उप-मण्डल का एस.डी.ओ (सिविल) नगर निगम के मामले में सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त

81	46	आबकारी तथा कराधान विभाग	हरियाणा सुख—साधन कर अधिनियम 2007 (2007 का 23) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना	15 दिन	संबंधित आबकारी तथा कराधान अधिकारी—एवं—निर्धारण प्राधिकारी	संबंधित जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	संबंधित रेंज का संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त
82	46 (क)		पंजाब मनोरंजन भूलक अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम संख्या 16) तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पंजीकरण / अनुमति पत्र प्रदान करना	15 दिन	संबंधित जिले को मनोरंजन आबकारी अधिकारी	संबंधित जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	संबंधित रेंज का संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त
83	47	जन स्वास्थ्य इंजिनियरिंग विभाग	पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल जारी करना	3 दिन	सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
84	48		(i) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
85			(ii) शहरी तथा एम सी शहर में सीवरेज के कनैक्शन की स्वीकृति	12 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
86	49		(i) वाटर रिसाव/ पाईप से ओवरफलो	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
87			(ii) सीवरेज में रुकावट /मेन होलों में से बाहर सीवर का पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
88			(iii) जलापूर्ति सुचारू करना जो कि छोटी गडबडी जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, बिजली की तार, वितरण प्रणाली में खराबी इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई हो।	3 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
89			(iv) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि कच्चे पानी की कमी ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी/एच टी लाइनों में बाधा	6 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता
90			(v) जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को ठीक करना जैसा कि ट्रांसफार्मर	10 दिन	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कार्यकारी	जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अधीक्षक

					अभियन्ता	अभियन्ता
			का जलना, बिजली की दूसरी मुख्य बाधाएं जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक/ मुरम्मत की जानी है।			
91	50	विद्युत विभाग	नार्मल पर्यूज ऑफ कॉल शहरों तथा कस्बों में	4 घंटे	सम्बद्ध लाइनमैन / शिकायत केन्द्र में शिपट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	सम्बद्ध लाइनमैन / शिकायत केन्द्र में शिपट इंचार्ज	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) एस0डी0 ओ0(ओ0पी0)
92	51.		ओवरहैड लाइन ब्रैकडाउन्स शहरों तथा कस्बों में	8 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	16 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
93	52.		ब्रैकेज पोल्स के कारण ओवरहैड लाइन ब्रैकडाउन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
94	53		अन्डरग्रान्ड कैबल्स ब्रैकडाउन्स शहरों तथा कस्बों में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
95	54		डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फैलियुर शहरों तथा कस्ब	24 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			ग्रामीण क्षेत्र में	48 घंटे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
96	55		मैजर पॉवर फैलियुर इन्चालिंग पॉवर ट्रांसफॉर्मर/ इक्युपमैन्ट प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति फिर से चालू करने के लिए रददोबदल प्रबन्धन	7 दिन 24 घंटे	एक्स0ई0एन0 / कन्सट्रक्शन	एस0ई0 (ओ0पी0) सी0ई0 (ओ0पी0)
97	56		(क) सिंगल स्ट्रैच में अधिकतम अवधि	किसी दिन में आठ घंटे से अधिक नहीं	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
			(ख) रेस्टोरेशन सप्लाई	किसी भी दिन सांय 6 बजे तक	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)
98	57		नेटवर्क इनवॉल्ड के बिना विस्तार/इन्हानसमैट के साथ वोल्टेज फलकचयेशन नगर तथा कस्बे ग्रामीण क्षेत्र—मीटर टैस्टिंग	4 धण्टे 8 धण्टे	कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)	एस0 डी0 ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)

99	58	विद्युत विभाग	<p>मीटर शिकायतें</p> <p>(i) निरीक्षण तथा सहीपन जांच करना – मीटर की टस्टिंग फीस की प्राप्ति के बाद</p> <p>(ii) स्लो/फास्ट मीटर/क्रीपिंग/स्टक/डिफेक्टिव मीटर का बदलना</p> <p>(iii) जले हुए मीटर का बदलना यदि उपभोक्ता को आरोप्य नहीं है।</p> <p>(iv) सभी अन्य मामलों में जले मीटर को बदलना – उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के बाद</p>	<p>7 दिन चैकिंग पर इसके स्थापित किये जाने के 7 दिन के भीतर 7 दिन 24 घंटे</p>	<p>कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज) कनिष्ठ अभियंता (इंचार्ज)</p>	<p>एस0डी0 ओ0(ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p>	<p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p>
100	59		<p>नये कनैक्शन/अतिरिक्त लोड/मांग देना</p> <p>(a) कनैक्शन देना जहां सेवाएं विद्यमान नेटवर्क से व्यवहार्य है</p> <p>(b) कनैक्शन देना जहां नेटवर्क एक्सपैशन/इनहान्समैन्ट कनैक्शन देने के लिए अपेक्षित है (सिवाय कृषि)</p> <p>(i) एल0टी0 कनैक्शन के लिए</p> <p>(ii) 11 कें0वी0 कनैक्शन के लिए</p> <p>(iii) 33 कें0वी0 कनैक्शन के लिए</p> <p>(iv) 33 कें0वी0 स्तर कनैक्शन से अधिक</p>	30 दिन	एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)	एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)	एस0ई0 (ओ0पी0)
				<p>30 दिन 71 दिन 97 दिन के भीतर 167 दिन</p>	<p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p>	<p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0)</p>	<p>एस0ई0 (ओ0पी0) एस0ई0 (ओ0पी0) सी.ई.(ओ.पी.) सी.ई.(ओ.पी.)</p>

101	60	विद्युत विभाग	<p>शीर्ष का हस्तांतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण</p> <p>(क) शीर्ष का हस्तांतरण तथा प्रवर्गों का परिवर्तन</p> <p>(ख) एल0टी0ऐकल फेज से एल0टी 3 फेज में संपरिवर्तन या परस्पर-भूगतान प्रभार की तिथी से</p> <p>(ग) एल0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथी से</p> <p>(घ) एच0टी0 से ई0एच0टी0 का संपरिवर्तन या परस्पर- भूगतान प्रभार की तिथी से</p>	<p>7 दिन 30 दिन 30 दिन 30 दिन</p>	<p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p>	<p>एक्स0ई0एन0(ओ0पी0) एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p> <p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p> <p>एस0डी0ओ0 (ओ0पी0)</p>	<p>एस0ई0 (ओ0पी0) एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p> <p>एक्स0ई0एन0 (ओ0पी0)</p> <p>एक्स0ई0एन0(ओ0पी0)</p>
102	61		<p>मीटर/सेवा कनेक्शन और अन्य सेवाओं को बदलना ।</p> <p>(i) मीटर/सेवा कनेक्शन को बदलना</p> <p>(ii) 11 के0वी0 तक एल0टी0/एच0टी0 लाइनों को बदलना ।</p> <p>(iii) 11 के0वी0 से अधिक एच0टी0 लाइनों को बदलना ।</p> <p>(iv) ट्रांस्फार्मर को बदलना ।</p>	<p>15 दिन 45 दिन 45 दिन 60 दिन के भीतर ।</p>	<p>कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)</p> <p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p> <p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p>	<p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>अधीक्षक (आपरेशन) अभियंता</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) अधीक्षक</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) अधीक्षक</p>	<p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>अधीक्षक (आपरेशन) अभियंता</p> <p>अधीक्षक (आपरेशन) अभियंता</p> <p>अधीक्षक (आपरेशन) अधीक्षक अभियंता</p>
103	62		<p>उपभोक्ता बिल के बारे शिकायत और आपूर्ति को पुनः स्थापित करना ।</p> <p>यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है ।</p>	24 घंटे	<p>वाणिज्यिक सहायक</p> <p>वाणिज्यिक सहायक</p>	<p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p> <p>उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी</p>	<p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p> <p>कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)</p>
104			यदि कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है ।	7 दिन	वाणिज्यिक सहायक	उपमण्डल (आपरेशन) अधिकारी	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)

105	63	विद्युत विभाग	बिलों के भुगतान न करने के कारण काटी गई आपूर्ति को पुनः जोड़ना। शहरों और नगरों – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद। ग्रामिण क्षेत्र – उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति बाद।	6 धंटे 12 धंटे	कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी)	उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन) उपमण्डल अधिकारी (आपरेशन)	कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) कार्यकारी अभियंता (आपरेशन)
106	63 क		33 के0वी0 से ऊपर के मुख्य विद्युत नियोजक द्वारा विद्युत संस्थापन का प्रमाणीकरण	30 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियंता	मुख्य विद्युत नियोजक	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, विद्युत’।
107	64	परिवहन विभाग	(i) नौ सिखिया चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना (ii) स्थाई चालन लाइसेंस (सारथी सम्बन्धित सेवाएं) जारी करना। (iii) चालन लाइसेंस का नवीकरण। (iv) डुप्लीकेट चालन लाइसेंस जारी करना (v) चालान लाइसेंस में नई श्रेणी का पृष्ठाकंन	5 दिन 7 दिन 37 दिन 7 दिन 7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्ब) प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त	सम्बद्धजिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त सम्बद्ध जिले का उपायुक्त
108	65		कन्डकटर लाइसेंस जारी करना	7 दिन	उपमण्डल अधिकारी नागरिक एवं सम्बद्ध प्राधिकारी का आर0ए0 / आर0टी0ए	सम्बद्ध जिले का अतिरिक्तउपायुक्त	सम्बद्ध जिले का उपायुक्त

119	78	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	बीज विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
120	79		कीटनाशक विक्रेता का लाईसेंस	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
121	80		पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता का प्राधिकार पत्र	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
122	81		बीज विक्रेता के लाईसेंस का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
123	82		पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र का नवीनकरण	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
124	83		बीज विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
125	84		कीटनाशक विक्रेता के लाईसेंस की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
126	85		पावती रसीद / उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की नकल	24 दिन	कृषि उपनिदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	कृषि निदेशक
127	86	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	अनापन्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आंबटन जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
128	87		हस्तांतरण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
129	88		बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
130	89		विक्रय के मामले में सम्पत्ति का पुनः अतंरण	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
131	90		विक्रय के मामले में सम्पत्ति का पुनः अतंरण (अविवादित मृत्यु)	60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जैड०एम०ई०ओ०
132	91		किसानों को ज० फार्म जारी करना	1 दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	डी०एम०ई०ओ०	डी०एम०ई०ओ०
133	92		कृषि कार्यों के दौरान किसी चोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता (अनुगृहपूर्वक) प्रदान करना मृत्यु केसों में विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद चोट के केसों में	30 दिन, 60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जै०एम०ई०ओ०

134	93	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	गिरवी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एंव कार्यकारी अधिकारी	डी0एम0ई0ओ0	जै0एम0ई0ओ0
135	94	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	एम.एस.एम.ई.डी. एकट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन—ा की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक /उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
136	95		एम.एस.एम.ई.डी. एकट, 2006 के अधीन उद्यमियों की ज्ञापन—ा की पावती जारी करना	3 दिन	संयक्त निदेशक /उप निदेशक	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य
137	96.		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण	22 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
138	97		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर पंजीकरण का नवीकरण	7 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
139	98		भारतीय वॉयलर अधिनियम, 1923 के अधीन वॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मरम्मत के लिए अनुमोदन	10 दिन	वॉयलर का मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक उद्योग	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य
140	99		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनन्तिम अनुज्ञाप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
141	100		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनन्तिम अनुज्ञाप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
142	101		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञाप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
143	102		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञाप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

144	103	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के अधीन संसाधन के लिए नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
145	104		लुबरीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के लिए अनुज्ञाति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
146	105		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
147	106		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
148	107		भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
149	108		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों का पंजीकरण	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
150	109		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटियों के नाम का अनुमोदन	3 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
151	110		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन भासकीय निकाय का अनुमोदन	15 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
152	111		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट, 2012 के अधीन सोसाइटी के नाम/ पजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	7 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी
153	112		हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवम रेगुलेशन आफ सोसाइटिज ऐक्ट,	60 दिन	जिला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसायटी	रजिस्ट्रार जनरल, फर्म तथा सोसायटी

			2012 के अधीन सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के अनुमोदन				
154	112 क.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	मितव्यक का पंजीकरण	22 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
155	112 ख.		राज्य के भीतर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
156	112 ग.		राज्य से बाहर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
157	112 घ.		बॉयलर निर्माता इकाई का प्रमाण—पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
158	112 ङ.		बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण—पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
159	112 च.		बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण—पत्र का नवीकरण	07 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
160	112 छ.		बॉयलर वेल्डर प्रमाण—पत्र	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
161	112 ज.		बॉयलर वेल्डर प्रमाण—पत्र का नवीकरण	10 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
162	112 झ.		बॉयलर संचालन इंजीनियर प्रमाण—पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
163	112 झ.		बॉयलर परिचर प्रमाण—पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
164	112 ट.		(i) अनुमोदन पत्र (ii) स्वीकृति पत्र (iii) संवितरण	30 दिन 07 दिन 07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
165	112 ट.		परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम (i) अनुमोदन पत्र (ii) स्वीकृति पत्र (iii) संवितरण	30 दिन 07 दिन 07 दिन	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	अपर निदेशक निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य

166	112 ड.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	क्रेडिट रेटिंग स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
167	112 ढ.		ऊर्जा लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
168	112 ण.		पर्यावरण अनुपालन सहायता		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
169	112 त.		डिजाइन विलनिक स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
170	112 थ.		केंडिट लिंकड ब्याज सहायकी स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
171	112 द.		सुरक्षा लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
172	112 ध.		जल लेखापरीक्षा स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			

			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
173	112 न.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
174	112 प.		स्टाम्प—शुल्क वापसी स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
175	112 फ.		बिजली कर / ओपन एक्सेस शुल्क छूट		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
176	112 ब.		भाडा सहायता अनुदान		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	45 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
177	112 भ.		शुक्रम, लद्यु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए व्याज सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
178	112 म.		रोजगार सृजन सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
			(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
			(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
			(iii) संवितरण	07 दिन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

179	112 य.	सहायता प्रौद्योगिकी अधिग्रहण		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
180	112 कक्ष.	मुल्य वर्धित कर (वैट) / राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पर निवेश सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
181	112 कख.	पेटेंट पंजीकरण स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
182	112 कग.	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र स्कीम		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
183	112 कघ.	ई-कॉर्मर्स लिंकेज के लिए उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक
184	112 कड.	शिल्पकार के लिए व्याज सहायकी		अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य
		(i) अनुमोदन पत्र	30 दिन			
		(ii) स्वीकृति पत्र	07 दिन			
		(iii) संवितरण	07 दिन		वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	अपर निदेशक

185	113	हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लि०	भवन योजना/ पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (ओद्योगिक /आवासीय)	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार/ वरिश्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
186	114		भवन योजना/ पुनरीक्षित भवन योजना की स्वीकृति (वाणिज्यिक)	30 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार/ वरिश्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
187	115		भवनों के लिये समापन/ अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध उपनगर योजनाकार/ वरिश्ठ नगर योजनाकार	मुख्य योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
188	116		अनापत्ति प्रमाण पत्र/डुपलीकेट आबंटन /पुनः आबंटन पत्र जारी करना	20 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
189	117		हस्तांतरण विलेख	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
190	118		बेबाकी प्रमाण पत्र	15 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
191	119		विक्रय आदि के मामलों में प्लाटो का अंतरण	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
192	120		प्लाटों का स्थानान्तरण (अनकान्टेसिटेड)	45 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
193	121		गिरवी जारी करने के लिए अनुमति	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
194	122		किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	3 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
195	123		स्वामित्व परिवर्तन (मृत्यु मामलों से अन्यथा)	30 दिन	सम्पदा प्रबन्धक	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
196	124		प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	इंचार्ज फील्ड कार्यालय	विभागाध्यक्ष (आई०ए०)	प्रबन्ध निदेशक
197	125		कुरसी सार तक प्रमाण पत्र जारी करना	7 दिन	इंचार्ज फील्ड कार्यालय	विभागाध्यक्ष (आई०ए०)	प्रबन्ध निदेशक
198	126		जल एवं सीवरेज कन्वेन्शन	15 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	विभागाध्यक्ष (सम्पदा)	प्रबन्ध निदेशक
199	127		आई ई/आई डी ए में भूमि/ शेड का आबंटन	60 दिन	डी जी एम/ए जी एम औद्योगिक सम्पदा	जी एम, हरियाणा राज्य ओद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक

200	128	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग।	(i) डी-1 फार्म प्राप्त होने पर राशन कार्ड जारी करना जैसे कि सभी वर्ग के लिए प्रार्थना फार्म (ii) परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना। (iii) दूसरा राशन कार्ड जारी करना। (iv) परिवार के सदस्य का समावेस/ विलोप (v)उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना। (vi)पता बदलने के अतंगर्त एफ०पी०एस० बदलना (सभी वर्गों के राशन कार्ड) (vii) परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना/ राशन कार्ड/ सदस्य पलायन/राशन कार्ड स्थानान्तरण/राशन कार्ड परित्याग प्रार्थना पत्र। (viii) राशन कार्ड डाटा सुधार एवं घर के मुख्या संशोधन।	22 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 7 दिन 7 दिन	निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०पी०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०पी०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०ओ० निरीक्षक प्रभारी/ ए०एफ०एस०ओ०	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
201	128 क	i) दूरियों संम्बंधी पैरामीटर की पैमाइश के लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्का पटवारी/ कानूनगों तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्टा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना।	4 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।	

		<p>ii) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट</p> <p>टीम दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।</p>	15 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।
202		<p>खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग।</p> <p>iii) ईन्ट भटठे के निर्माण की अनुमति</p> <p>हरियाणा प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप के खण्ड 3 क अधीन ईन्ट बटठे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की भार्त हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित किया जायेगा यदि दूरी पैरामीटर नियंत्रण आदेश के अनुसार नहीं पाई जायेगी।</p>	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।
203		<p>iv) ईटं बनाने व बेचने के लिये ईटं भटठा का लाईसेंस जारी करना</p> <p>आवेदक/ईन्ट भटठा स्वामी केवल खान तथा भू-विज्ञान विभाग से परमिट, हरियाणा प्रदुषण बोर्ड से सहमति तथा जिला नगर योजनाकार से नियंत्रित क्षेत्र का लाईसेंस, यदि ईन्ट भटठा का रथल नियंत्रित क्षेत्र में आता है, प्राप्त करने के बाद अपना ईन्ट भटठा संचालित करेगा। अन्यथा जिला नगर योजनाकार/नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र।</p>	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।

204	128 ख.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन)	व्यवहारी अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
205	128 ग.		व्यवहारी अनुज्ञाप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
206	128 घ.		मरम्मतकर्ता अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
207	128 ङ.		मरम्मतकर्ता अनुज्ञाप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
208	128 च.		विनिर्माता अनुज्ञाप्ति जारी करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
209	128 छ.		विनिर्माता अनुज्ञाप्ति का नवीकरण करना	30 दिन	उप निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक (जैसी भी स्थिति हो)	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान	विभागीय प्रशासकीय सचिव
210	129	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	भवन का नक्शा/ भवन के संशोधित नकशों की रसीकृति	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
211	130		भवन के लिए सम्पूर्ण अधिष्ठत्य प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
212	131		अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (तबादला अनुमति/ दूसरा आबंटन पत्र/ पुनः आबंटन पत्र)	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
213	132		हस्तांतरण विलेख जारी करना	20 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
214	133		बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	10 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय
215	134		विक्रय के मामले में सम्पत्ति का अंतरण	30 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुडडा	प्रशासक हुडडा मुख्यालय

216	135	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	मृत्यु (अविवादित) के मामले में सम्पति का अंतरण	45 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
217	136		गिरवी के लिए अनुमति जारी करना	7 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
218	137		किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
219	138		स्वामित्व का परिवर्तन (मृत्यु के मामले से अन्यथा)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
220	139		प्लाटों का सीमांकन	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
221	140		कुरसी (डी पी सी) प्रमाण पत्र जारी करना	5 दिन	सम्पदा अधिकारी	सम्बन्धित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा मुख्यालय
222	141		जल आपुर्ति तथा मल जल कनेक्शन	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुड़डा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
223	142		जल आपुर्ति तथा मल जल कनेक्शन की स्वीकृति (ओद्योगिक)	10 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता / एस डी ई हुड़डा	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता	अधीक्षक अभियन्ता मुख्यालय
224	143		गिरवी प्रथम प्रवाह (ओद्योगिक)	15 दिन	सम्पदा अधिकारी	संबंधित जोनल प्रशासक हुड़डा	प्रशासक हुड़डा, मुख्यालय
225	143 क		पानी का कनेक्शन	5 दिन रिहायसी 7 दिन वाणिज्य / ओद्योगिक	1. कनिष्ठ अभियंता, 2. उप मंडल अभियंता और 3. कार्यकारी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	प्रशासक''।
226	144		नियंत्रित क्षेत्र तथा समरूप जोन (सरकार की सक्षता के सिवाए) के अंतिम प्रकाशित विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग अनुमति का परिवर्तन	60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अपर सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना
227	145	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	नियंत्रित क्षेत्र से बाहर इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र किन्तु नगरीय क्षेत्र के भीतर	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	म्हानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
228	146		नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली इकाइयों के लिए अनापति प्रमाण पत्र	10 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार

229	147	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(i) पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत ईंट भट्ठों, व लकड़ी का कोयला भट्ठों, के लिए लाइसेंस	30 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
230			(ii) पंजाब अनुसूचित सड़क के प्रावधानों और अनियमित विकास अधिनियम, 1963 की नियंत्रित क्षेत्रों प्रतिबंध के प्रावधानों के तहत स्टोन केशर, के लिए लाइसेंस	30 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	म्हानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
231	148		निम्न साइट/प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाइसेंस आवासीय प्लाट कालोनियां 2) औद्योगिक प्लाट कालोनियां 3)सी एल यू गारटड साइट जिनका क्षेत्रफल 2.0 एकड़ (8093.70 वर्ग मीटर) तक है	45 दिन	जिला नगर योजना कार	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार
232	149		निम्न साइट/प्लाट जो विवादित नहीं है पर भवन योजना की स्वीकृति:- 1) लाइसेंस प्राप्त कलोनी में समुदाय साईटें जिनका क्षेत्र 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 2) सी एल यू प्राप्त साइटें जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ (8093.70 वर्ग मीटर) से 5.0 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) तक है। 3) आवासीय प्लोटड एवं औद्योगिक प्लोटड कलोनियों में वाणिज्यिक धटक जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ है। 4) सभी सी एल यू प्राप्त औद्योगिक परियोजनाएं	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	म्हानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना

233	150.	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	(क) कम संख्या 148 और 149 के इलावा अन्य साइट की योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइट जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर)से अधिक है के निर्माण की स्वीकृति	90 दिन 60 दिन	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना
234	151		कम संख्या 148 पर वर्णित भवन जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	45 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
235	152		कम संख्या 149 पर वर्णित भवनों के लिए प्लाट क्षेत्र जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना।	60 दिन	वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना
236	153		(क) कम संख्या 150 एवं 151 पर वर्णित मामलों को छोड़कर जो अविवादित है का कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना। (ख) सी एल यू प्राप्त औद्योगिक साइटों जिनका क्षेत्र 5.00 एकड़ (20234.25 वर्ग मीटर) से अधिक है का कब्जा प्रमाण पत्र।	90 दिन 60 दिन	महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना	
237	154		हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन विवाह का पंजीकरण— उपबन्धित 15 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति बाद	3 दिन	तहसीलदार (ग्रामीण क्षेत्र में) सचिव नगर समिति (शहरी क्षेत्र) उप/संयुक्त नगरायुक्त (नगर निगम)	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट उप मण्डल मैजिस्ट्रेट नगरायुक्त	उपायुक्त उपायुक्त उपायुक्त
238	155	गृह विभाग	क) शस्त्र लाईसेंस का नवीकरण (यदि लाईसेंस समाप्ति की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा लाईसेंस जारी करने वाला जिला वही जहां सेवा मार्गी गई है)	15 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र)	जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट	.— — — —

					पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त	—
239	गृह विभाग	ख) शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण छ: वर्ष की प्रत्येक साईकिल के बाद प्रस्तुत किया गया हो जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक हैं	22 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त	
240	156	हथियार का जमा करना/काटना (यदि अनुज्ञाप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेवाएं मांगी गई हैं)— आवश्यक नोटिस के समाप्त होने के 45 दिन	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त	
241	157	हथियार खरीदने के समय का विस्तार, (यदि अनुज्ञाप्ति जारी करने का जिला वही है जहां सेवाएं मांगी गई हैं और समय की अनुमति के दौरान)	7 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकूला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त आयुक्त पुलिस (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला) पुलिस उपायुक्त (पंचकूला) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) पुलिस उपायुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	— मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त	

242	158	गृह विभाग	विदेशियों का पंजीकरण (आगमन तथा प्रस्थान)	तत्काल	सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अम्बाला तथा पंचकूला जिले सहायक पुलिस आयुक्त/ मुख्यालय गुडगांव तथा फरीदाबाद जिला विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस आयुक्त, अम्बाला तथा पंचकूला जिले उप पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
243	159		विदेशियों के आवासीय प्रमिट का विस्तार	5 दिन	सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय अम्बाला/ शहरी क्षेत्र, पंचकूला/ अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र सहायक संयुक्त पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा फरीदाबाद (मुख्यालय) विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ.आर.ओ) उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए	पुलिस आयुक्त उप पुलिस आयुक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त आई. जी. रेंज
244	160		एफ.आई. आर अथवा डी.डी.आर की प्रति	शीघ्र/ आनलाईन	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
245	161		लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण पत्र (अनुमति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित थाना गृह अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र अथवा मंडल मैजिस्ट्रेट की दशा में केवल लागू)	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) उप सहायक पुलिस आयुक्त अम्बाला तथा पंचकूला जिला मुख्यालय सहायक/ पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय/ पुलिस आयुक्त फरीदाबाद तथा	जिला मैजिस्ट्रेट/ उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त

					गुडगांव विदेशी पंजीकृत अधिकारी (एफ आर ओ)		
246	162	गृह विभाग	फेयर/मेला/ प्रदर्शनी/ खेल आयोजन इत्यादि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	उप मण्डल मैजिस्ट्रेट (अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद तथा गुडगांव जिलों के सिवाए) सहायक/उपायुक्त / मुख्यालय/ अम्बाला तथा पंचकूला जिला संयुक्त/ सहायक पुलिस उप आयुक्त फरीदाबाद तथा गुडगांव (मुख्यालय)	उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
247	163		अपरिचित सत्यापन (अन्य जिले/ राज्य सत्यापन प्राप्त करने के बाद जिसका निवास अपरिचित है)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
248	164		किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि आवासीय या स्थानीय क्षेत्र)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
249	165		किरायेदार/ नौकर का सत्यापन (यदि अन्य जिला/राज्य के आवासीय तथा अन्य जिले/राज्य से सत्यापन की प्राप्ति के बाद)	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
250	165		सेवाओं से सम्बन्धित अन्य सत्यापन	30 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
251	167		सड़क दुर्घटना मामलों में अनद्रेसड रिपोर्ट की प्रति	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
252	168		चोरी हुए मामलों में वाहनों के मामलों में अनद्रेसड	90 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
253	169		चोरी के मामलों में अनद्रेसड रिपोर्ट की प्रति	60 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
254	170		पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	5 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त

255	171	गृह विभाग	सेवा सत्यापन (हरियाणा निवासी के मामले में)	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
256	172		चरित्र सत्यापन	10 दिन	सम्बन्धित थाने का पुलिस थाना अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त // संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
	173		हथियार लाईसेंस के नवीकरण के लिए सत्यापन	22 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) डी.सी.पी. (पंचकुला तथा अम्बाला जिले) उपमण्डल मैजिस्ट्रेट/न्यायधीश (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त जिला मैजिस्ट्रेट	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त
257	174		हथियार व्यवहारियों के लाईसेंस को जारी करने/ नवीकरण के लिए अनापत्ति	15 दिन	संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस उपायुक्त (अम्बाला तथा पंचकुला) जिला मैजिस्ट्रेट (पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त मण्डलायुक्त	मण्डलायुक्त मण्डलायुक्त -----
258	175		पैट्रोल पंप, सिनेमा हाल इत्यादि स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र	15 दिन	जिला मैजिस्ट्रेट पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव को छोड़कर)	मण्डलायुक्त	-----
					पुलिस आयुक्त (फरीदाबाद, पंचकुला, गुडगांव तथा अंबाला जिलों)	मण्डलायुक्त	-
259	176		पासपोर्ट सत्यापन	21 दिन	संबंधित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी	उप पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त
260	177		नये हथियार लाईसेंस के लिए सत्यापन	30 दिन	उपायुक्त (पंचकुला, फरीदाबाद, गुडगांव तथा अम्बाला जिलों के सिवाए) संयुक्त पुलिस आयुक्त	मण्डलायुक्त पुलिस आयुक्त	- मण्डलायुक्त

				(गुडगांव तथा फरीदाबाद जिले) उप पुलिस आयुक्त (पंचकूला) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला ग्रामीण क्षेत्र) उप पुलिस आयुक्त (अम्बाला शहरी क्षेत्र)	पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त	मंडलायुक्त मंडलायुक्त मंडलायुक्त
261	178	सामजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	लाडली सामजिक सुरक्षा भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त
262	179		बुढापा सम्मान भत्ता (बुढापा पेंशन)	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
263	180		विकलांग पेंशन	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
264	181		हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का अतिरिक्त उपायुक्त
265	182		बेसहारा बच्चों के लिए वितीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
266	183		कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वितीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
238	184		विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते के लिए वितीय सहायता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
267	185		बौना भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
268	186		हिजडा भत्ता योजना	60 दिन	सबन्ध जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी	सबन्ध जिले का उपायुक्त
269	187	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	एच एस सी एस टी के लिए आवेदन फार्म पी एच डी करने के लिए फैलोशिप फार्म	4 मास	मुख्य विज्ञानिक इंजीनियर एच एस सी एस टी	सचिव/ई सी० एच एस सी एस टी
270	188		विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवेदन फार्म (POSE) बी. एस.सी और एम.एस.सी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति – समापन के बाद	4 महीने	विज्ञानिक इंजीनियर(ए) एस जी	प्रधान विज्ञानिक(एस जी)
						निदेशक

271	189	श्रम विभाग	1) 1970 ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधान के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और लाईसेंस पंजीकरण	26 दिन	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
272			2) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
273			3) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना लाईसेंस	45 दिन	अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार
274			(4) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण,— (क) अपने ग्राहक को जानने के लिए अमान्य (के.वाई.सी०)य (ख) अपने ग्राहक को जानने के लिए मान्य (के.वाई.सी०)	1 दिन 15 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
275			5) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) अधीन ठेकेदारों के लाईसेंस का नवीनीकरण	26 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
276			6) कारखानों अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के प्रावधानों के अधीन लाईसेंस का नवीनीकरण	45 दिन	अपर अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
277			7) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का नवीनीकरण	1 दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त

278	189 क	श्रम विभाग	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अधीन नियोजित प्रतिशठान का पंजीकरण	30 दिन	सहायक निदेशक (आई०एस० एडॅ एच०)/ सहायक निदेशक आई०एच०/ उपनिदेशक, आई०एच० एडॅ संयुक्त निदेशक आई०एस० एडॅ एच०	श्रम आयुक्त	प्रधान सचिव।
279	189 ख		अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता से स्थापना का पंजीकरण।	26 दिन	अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम।
280	189 ग		हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (एचबीओरीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) के लाभार्थी के रूप में निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण/ नवीनीकरण	30 दिन	राज्य के सभी पंजीयक अधिकारी	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
281	189 घ		हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभ प्रदान करना	90 दिन	सम्बद्ध उप निदेशक	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	श्रम आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
282	190.	वन विभाग	पेड़ों की कटाई की अनुमति	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
283	191		पी एल पी ए अथवा वन अथवा वन क्षेत्र से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 दिन	वन मण्डल अधिकारी	वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक
284	192.	उधान विभाग	हारनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) उ.नि.उ (एन. एच.एम.)	संयुक्त निदेशक	मिशन निदेशक
285	193		मिंट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	16 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सूक्ष्म सिंचाई) उ.नि.उ (एम.आई)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
286	194		फूट लाईसेंस- फलदार पौधों की नरसरी हेतु लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (प्रोजेक्ट व नरसरी) उ.नि.उ (पी.एन.)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
287	195	उधान विभाग	पॉलीनेट- पूर्ण दस्तावेज जमा होने उपरांत आवेदन स्वीकृत करना।	21 दिन	उप-निदेशक उद्यान (फल) उ.नि.उ (फ)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक

288	196.		सीड लाईसेंस— सब्जी बीज की बिक्री हेतू लाईसेंस जारी करना।	90 दिन	उप-निदेशक उद्यान (सब्जी) उ.नि.उ (स)	संयुक्त निदेशक	उद्यान महानिदेशक
289	197	मत्स्य विभाग	मत्स्य किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ:- i) मछली तालाब हेतू भूमि का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतू बैंकों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा
290	198		जलमन्त्र भूमि क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदार की सेवाएँ i) मछली तालाब हेतू भूमि का चुनाव ii) योजना और तलाब का अनुमान iii) ऋण हेतू बैंकों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना। iv) मत्स्य सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रार्थना पत्र देने के बाद।	10 दिन 15 दिन 15 दिन 30 दिन	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा
291	199		मत्स्य पालकों को राजकीय मत्स्य बीज फार्मों से मत्स्य बीज सप्लाई की सेवाएँ —मत्स्य बीज संचय करना।	मास फरवरी/ मार्च/ जुलाई/ अगस्त/ सितम्बर	सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकार एजेन्सी तथा सभी मत्स्य फार्म प्रबन्धक	सभी मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य	निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा
292	200	खन्न तथा भू-विज्ञान विभाग	पत्थर केशर मालिकों को 'हरियाणा केशर विनियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 1991(1992 का 15) के अधीन स्टोन केशर स्वामियों को स्टोन केशर के लिए लाईसेंस	21 दिन	निदेशक, "खन्न तथा भू-विज्ञान	प्रशासकीय सचिव	मुख्य सचिव

293	201		ईंट भट्ठा/ ईन्ट स्वामी को ईंट निर्माण हेतु मिट्टी की निकासी के लिए परमिट	15 दिन	जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी	राज्य खनन अभियंता	निदेशक, खन्न तथा भू-विज्ञान
294	202	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	(क) राज्य राजमार्ग/ एमओओ आरओटी० एवं एच० के दिशानिर्देशों के अधीन अनुसूचित सड़क से प्रवेश/ निकासी के लिए समाशोधन	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
295			(ख) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस/ पाइपलाइन बिछाने की अनुमति	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
296			(ग) उपयोग का अधिकार के अन्तर्गत संचार अवसरचना और सहयुक्त स्थापना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए अनुमति।	60 दिन	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
297	203	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जल (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
298	204		वायु (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
299	205		जल (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
300	206		वायु (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
301	207		खतरनाक व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा से परे संचार) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
302	208		जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी/ पर्यावर्णीय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव